

## भारत का आंतरिक प्रवासन

### प्रलिस के लयः

मानव प्रवास, भारतीय प्रवासी मज़दूर, भारत में प्रवासन रपिर्ट 2020-21

### मेन्स के लयः

प्रवासन का महत्त्व, प्रवासन के लयि चुनौतयिँ, प्रवासन-केंद्रीय नीतकि आवश्यकता

## चर्चा में क्यौं?

तमलिनाडु में हदि भाषी लोगों पर कथति हमलों के वीडयिँ सामने आने के बाद **प्रवासी शर्मकिों के संभावति पलायन** को लेकर चति उत्पन्न हो गई है ।

- उद्योग समूहों को यह चति है कि पलायन **तमलिनाडु** के औद्योगिक और वनरिमाण क्षेत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावति करेगा, एक अनुमान के अनुसार, वहाँ **लगभग दस लाख प्रवासी** कार्यरत हैं ।

## प्रवासनः

### ■ परिचयः

- **अंतरराष्ट्रीय प्रवासी संगठन** के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार या अपने सामान्य नविस स्थान से दूर किसी राज्य में पलायन करता है, तो उसे प्रवासी माना जाता है ।
- प्रवासन में आकार, दिशा, जनसांख्यिकी और आवृत्ति में परिवर्तनों का विश्लेषण करने से ज़मीनी स्तर पर प्रभावी नीतयिँ, कार्यक्रमों और परिचालन प्रतिक्रियिँ संबंधी नीतिका नरिमाण हो सकता है ।

### ■ प्रवासन नरिधारति करने वाले कारकः

- आपदाओं, आर्थिक कठनाइयों, अत्यंत गरीबी या सशस्त्र संघर्ष की अधिक गंभीरता या आवृत्ति के परिणामस्वरूप **स्वैच्छिक या मजबूरन आंदोलन इसके कारक** हो सकते हैं ।
- **कोविड-19 महामारी** हाल के वर्षों में पलायन के मुख्य कारणों में से एक है ।

### ■ प्रवासन के 'पुश' और 'पुल' कारकः

- **पुश (प्रतिकर्षण) कारक वे हैं जो किसी व्यक्ति को मूल स्थान (आउट-माइग्रेशन) को छोड़ने एवं किसी अन्य स्थान पर पलायन करने के लयि मजबूर करते हैं जैसे- आर्थिक और सामाजिक कारण, किसी विशेष स्थान पर विकास की कमी ।**
- **पुल (प्रतिकर्षण) कारक उन कारकों को इंगति करते हैं जो प्रवासयिँ (इन-माइग्रेशन) को किसी क्षेत्र (गंतव्य) की ओर आकर्षति करते हैं जैसे कि रोज़गार के अवसर, रहने की बेहतर परिस्थितयिँ, नमिन या उच्च-स्तरीय सुविधाओं की उपलब्धता आदि ।**

## माइग्रेशन के आँकड़ेः

### ■ 2011 की जनगणनाः

- भारत में **आंतरिक प्रवासयिँ** (अंतर-राज्य और राज्य दोनों के भीतर) की संख्या 45.36 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी का **37% है ।**
- **वार्षिक शुद्ध प्रवासी प्रवाह** (Annual Net Migrant Flows) कामकाज़ी उम्र की आबादी का लगभग **1% था ।**
- भारत में इसमें **48.2 लाख लोग काम कर रहे थे ।** अनुमान के मुताबकि, वर्ष 2016 में यह 50 लाख से अधिक हो गई ।

### ■ प्रवासन कार्य-समूह रपिर्ट, 2017ः

- आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 17 जिलों की पुरुष आबादी का शीर्ष 25% उत्तरांचल के लखी ज़मिंदार है।

- इनमें से दस जिले उत्तर प्रदेश में, छह बिहार में और एक ओडिशा में हैं।

## SHARE OF MIGRANT WORKERS AMONG TOTAL WORKERS BY MAJOR SECTORS

Sector	RURAL		URBAN	
	Male	Female	Male	Female
Primary	4%	75%	20%	65%
Manufacturing	13%	59%	38%	51%
Public Services	16%	69%	40%	56%
Construction	8%	73%	32%	67%
Traditional Services	10%	65%	29%	55%
Modern Services	16%	66%	40%	52%
Total	6%	73%	33%	56%

Source: NSS 2007-08, Report of the Working Group in Migration, 2017

### ■ आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17:

- बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे अपेक्षाकृत कम वकिसति राज्यों में उच्च शुद्ध बाह्य प्रवासन की स्थिति है।
- अपेक्षाकृत अधिक वकिसति राज्य जैसे कर्गिवा, दलिली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमलिनाडु, केरल और कर्नाटक शुद्ध अप्रवासन को दर्शाते हैं।
- दलिली क्षेत्र में सबसे ज़यादा अप्रवासन हुआ, जसिमें वर्ष 2015-16 में आधे से अधिक अप्रवासन देखा गया।
- जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार का कुल बाह्य प्रवासन में आधा हसिसा है।

### ■ भारत प्रवास रिपोर्ट 2020-21:

- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जून 2022 में जारी एक अध्ययन में प्रवासियों एवं अल्पकालिक पर्यटकों पर डेटा संकलित किया।
- जुलाई 2020-जून 2021 की अवधि के दौरान देश की 0.7% आबादी को 'अस्थायी अप्रवासियों के रूप में दर्ज किया गया था।
  - अस्थायी अप्रवासियों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया गया था जो मार्च 2020 के बाद अपने घरों में आए और कम-से-कम लगातार 15 दिनों से अधिक लेकिन छह महीने से कम समय तक वहाँ रहे।
  - महामारी के कारण इन 0.7% अस्थायी अप्रवासियों में से 84% से अधिक पुनः घर चले गए।
- जुलाई 2020-जून 2021 में ऑल-इंडिया माइग्रेशन दर 28.9% थी, ग्रामीण क्षेत्रों में 26.5% प्रवासन दर और शहरी क्षेत्रों में 34.9% थी।
  - महिलाओं ने 47.9% की प्रवासन दर का एक उच्च हसिसा दर्ज किया, जो ग्रामीण में 48% और शहरी क्षेत्रों में 47.8% है।
  - पुरुषों की प्रवासन दर 10.7% थी, जो ग्रामीण में 5.9% और शहरी क्षेत्रों में 22.5% है।
- 86.8% महिलाएँ शादी के उपरांत पलायन करती हैं, जबकि 49.6% पुरुष रोज़गार की तलाश में पलायन करते हैं।

## प्रवास और प्रवासियों का महत्त्व:

- श्रम मांग और आपूर्ति: प्रवास श्रम की मांग और आपूर्ति में अंतराल को समाप्त करता है, दक्षता के साथ कुशल-अकुशल श्रम और सस्ते श्रम आवंटित करता है।
- कौशल विकास: प्रवासन बाहरी दुनिया के साथ जोखिम और संवाद के माध्यम से प्रवासियों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाता है।
- जीवन की गुणवत्ता: प्रवासन रोज़गार और आर्थिक समृद्धि की संभावना को बढ़ाता है जो बदले में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है।

- **आर्थिक प्रेषण:** प्रवासी भी अतिरिक्त आय और प्रेषण घर वापस भेजते हैं, जिसका उनके मूल स्थान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- **सामाजिक प्रेषण:** प्रवास लोगों के सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है, क्योंकि वे नई संस्कृतियों, रीति-रिवाजों और भाषाओं के बारे में सीखते हैं जो लोगों के बीच भाईचारे को बेहतर बनाने में मदद करते हैं एवं अधिक समानता तथा सहिष्णुता सुनिश्चित करते हैं।

## प्रवासन से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- वंचित वर्गों द्वारा सामना किये जाने वाले मामले:
  - जो लोग गरीब होते हैं या वंचित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें घुलना-मलिन आसान नहीं लगता।
- सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू:
  - कई बार प्रवासियों को मेज़बान क्षेत्र द्वारा आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता है और वे हमेशा दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में रहते हैं।
  - किसी नए देश में प्रवास करने वाले किसी भी व्यक्ति को कई चुनौतियों जैसे सांस्कृतिक अनुकूलन और भाषा की बाधाओं से लेकर गृह वियोग और अकेलेपन तक का सामना करना पड़ता है।
- राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक लाभों से वंचित:
  - प्रवासी श्रमिकों को मतदान के अधिकार जैसे अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करने के कई अवसरों से वंचित रखा जाता है।
  - इसके अलावा पते का प्रमाण, मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड प्रदान करने की आवश्यकता, जो उनके जीवन के अस्थायित्व के कारण कठिन कार्य है तथा उन्हें कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों तक पहुँचने से वंचित करता है।

## प्रवासन से संबंधित सरकारी पहल क्या हैं?

- वर्ष 2021 में **नीति आयोग** ने अधिकारियों और नागरिक समाज के सदस्यों के एक कार्यकारी उपसमूह के साथ मलिकर **राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति** का प्रारूप तैयार किया है।
- **वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) परियोजना** के वसितार और **कफायती करिये के आवास परिसरों (ARHC)**, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और **ई-श्रम पोर्टल** की शुरुआत ने आशा की करिण दिखाई है।
  - हालाँकि प्रवासियों का वृत्तांत भारत में अब भी दुखद है।

### यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

**प्रश्न.** भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों के विकास से उत्पन्न मुख्य सामाजिक-आर्थिक नहितार्थ क्या हैं? (2021)

**प्रश्न.** पछिले चार दशकों में भारत के अंदर और बाहर श्रम प्रवास के रुझानों में बदलाव पर चर्चा कीजिये। (2015)

### स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस